Course-02 ; Unit 1 - Topic :- (प्रकरण) –

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में सर्वशिक्षा अभियान की भूमिका –(S.S.A)

— The Role of S.S.A. in The Universalisation of Primary Education in (India).

शिक्षा मानव जीवन को सार्थक, व्यावहारिक, उपयोगी एवं सर्वांगीण विकास (व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि) का साधन है। अतः किसी राष्ट्र के सम्यक् विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में प्रारंभ से ही प्रयास होता रहा है और वर्तमान के एवं भविष्य की योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनते रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम 'सर्वशिक्षा अभियान' कार्यक्रम है जो सन् 2000 ई० में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री स्व० अटल बिहारी वाजपेयी महोदय के सौजन्य से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का विवरण निम्नलिखित है :-

(1) सामान्य परिचय एवं अन्य उल्लेखनीय बातें –
(2) सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य -
(3) सर्वशिक्षा अभियान का क्रियान्वयन
(4) प्राथमिक शिक्षा / ~~[illegible]~~ राशि में या बड़े लोगों पर प्रभाव –
(5) सर्व शिक्षा ~~के~~ अभियान को सफल एवं प्रभावी बनाने के सुझाव।

(1) परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :— ('सर्वशिक्षा अभियान') – भारत एक विशाल लोकतंत्र है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी स्कूल न जाने ~~वाले~~ वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, अर्थात् कुल आबादी का 22% है। स्वाभाविक रूप से यह एक विचारणीय विषय रहा है और इस दिशा में स्वतंत्रता से पूर्व एवं उसके पश्चात् सतत प्रयास होता रहा है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय प्रयास- सन् 1910 ई० का गोपाल कृष्ण गोखले महोदय का ~~प्राथमिक शिक्षा~~ 'अनिवार्य ~~शिक्षा~~ प्राथमिक शिक्षा का एक प्रस्ताव तत्कालीन केन्द्रीय सभा में प्रस्तुत करना था जिसे शासन द्वारा अस्वीकार

②

कर दिया गया। सन् 1917 में बम्बई क्षेत्र में बड़ौदा के बाद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया तथा सन् 1937 तक कई प्रान्तों में इस कार्यक्रम ने गति पकड़ी और इसे कई प्रान्तों में लागू कर दिया गया।

स्वतंत्रता पश्चात् (सन् 1947 ई० के बाद) राजनीतिक तथा सामाजिक उथल-पुथल के कारण शिक्षा का वातावरण नहीं बन सका। सन् 1950 ई० में देश का नया संविधान लागू हुआ जिसके अनुच्छेद 45 में सन् 1960 ई० तक 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी, किन्तु 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का यह संवैधानिक निर्देश वास्तव में अभी भी काफी दूर है। सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद इसमें आशातीत सफलता शेष है। अतः केन्द्र सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA) प्रारंभ किया गया।

यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalization) को प्राप्त करने के लिये की गई। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6-14 साल के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सन् 2010 ई० तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमीकरण को प्राप्त करना है व इसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों की प्रतिभागी प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की अभिव्यक्ति है। इसमें यह व्यवस्था लागू की गई है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों की भागीदारी हो। इस प्रकार यह विद्यालय प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक (Universal) बनाने का प्रयास है। यह गुणवत्तापूर्ण बौधिक (बुनियादी) शिक्षा की माँग पूर्ति हेतु योजना है तथा गरीब बच्चों

Paper-5

मानव क्षमताओं को दुबारा से अवसर प्रदान करने का प्रयास है। इस योजना के 8 कार्यक्रम हैं। बाल समाकलित विकास योजना व आँगनबाड़ी साथ ही कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (2004 ई०) भी इसमें शामिल किये गए हैं। इस के प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:—

(1) यह सर्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए समयबद्ध कार्यक्रम है।

(2) देश भर में गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा की माँग के प्रति एक अनुक्रिया है।

(3) यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन में पंचायतीराज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघों, माध्यमिक शिक्षा संघों, आदिवासी स्वतंत्रशासी परिषदों की प्रभावी सहभागिता ~~होगी~~। होगी।

यह केन्द्र - राज्य, व स्थानीय ~~[illegible]~~ शासन में एक साझेदारी है तथा प्राथमिक शिक्षा में अपनी दृष्टि विकसित करने हेतु राज्यों को अवसर देता है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :— Aims of SSA :—

इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं:—

(i) सन् 2010 ई० तक 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना।

(ii) 2003 तक सभी विद्यालय शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, 'स्कूल को वापस' कैंपस में लाना।

(iii) 2007 ई० तक सभी बच्चे पाँच वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें।

(iv) 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय शिक्षा पूरी करें।

(v) जीवन कौशल शिक्षा पर बल के साथ संतोषप्रद गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा को आधार बनाना।

(vi) सन् 2007 तक प्रारंभिक स्तर और 2010 ई० प्राथमिक शिक्षा में यौनगत व सामाजिक ~~[illegible]~~ में कोटि संबंधी अन्तराल दूर करना। इसमें यह व्यवस्था की गई

P.T.O.

(4) ... व सामाजिक दूरी को कम किया जाये। उसमें है कि ऑनगत व सामाजिक दूरी को ... जवाबदेह बनाया गया है। शिक्षकों, माता-पिता, को भी जवाबदेह बनाया गया है।

(vii) सन् 2010 ई० तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित हैं - यथा - उन बस्तियों में विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाता है जहाँ स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त उसके शौचालय, पीने के पानी, रख-रखाव, अनुदान और स्कूल-सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों का विकास करना भी है साथ ही जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यावसायिक उन्नयन के लिये व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण-अधिगम सामग्री-अनुदान, और ब्लॉक व जिला स्तर पर एक क्लस्टर द्वारा आकादमिक (Academic) सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए उसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह जीवन कौशल सहित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है जिसमें तकनीकी आधारित शिक्षा के अन्तराल को कम करने के लिए कम्प्यूटर (Computer) शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन वितरण की व्यवस्था की गयी है।

3) सर्व शिक्षा अभियान (कार्यक्रम) का कार्यान्वयन :-
- Implementation of 'SARV SHIKSHA ABHIYAN' —

सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का विवरण निम्न है —

(1) ब्लॉक संसाधन केन्द्र (BRC) -
(2) सह-संसाधन केन्द्र (CRC) -
(3) न्याय पंचायत केन्द्र —
(4) वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा -
(5) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना -

Contd. —

Contd. (3) (6) शिक्षक छात्र अनुपात –
(7) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण –
(8) शिक्षण अधिगम उपकरण –
(9) अभिनव क्रिया-कलाप –
(10) अध्यापक प्रशिक्षण –
(11) सामुदायिक प्रशिक्षण –
(12) समेकित शिक्षण –
(13) शोध मूल्यांकन पर्यवेक्षण व अनुश्रवण –
(14) विद्यालय अनुदान –
(15) शैक्षिक अनुदान –
(16) सुधारात्मक शिक्षण (17) बालिका शिक्षा (18) ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर पर सुदृढ़ीकरण, (19) समुदाय सहभागिता एवं (20) दूरस्थ शिक्षा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बाद में शुरू की गई योजनाएँ –

(I) संविधान की धारा 45 में संशोधन जिसके तहत 2002 ई० में धारा 45 में संशोधन किया गया तथा 21(A) व 51(A) को जोड़ा गया ।

II शिक्षा गारंटी ~~योजना~~ आश्वासन योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा ,

III कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (KGBY)

IV प्रारंभिक शिक्षा कोष ।

(1) ब्लॉक संसाधन केन्द्र (BRC) — सब के लिए शिक्षा कार्यक्रम में देश के प्रत्येक विकास खण्ड में 'ब्लॉक संसाधन केन्द्र' की स्थापना की गई है। जिसमें एक हॉल (6.5m x 12m) एक कक्ष (5m x 10m), एक स्टोर रूम (3x5m) दो शौचालय, स्नानागार होंगे । उसमें विद्युत आपूर्ति तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी । BRC में एक समन्वयक तथा दो सह-समन्वयक कार्यरत होंगे । इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें, दर्शिकाएँ, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, विज्ञान गणित आदि की किट, रंगीन टी.वी., टू-इन-वन, मानक तबला, मंजीरा, ढोलक एवं अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों तथा

खेलने के सामानों की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए 3000 रुपये वार्षिक रख रखाव की गई है। साथ-ही साथ 3000 रुपये वार्षिक रख रखाव खर्च भी मिलते रहेंगे।

(2) संकुल-संसाधन केन्द्र (CRC) — न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिए शैक्षिक अकादमिक एवं शिक्षणेत्तर आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये केन्द्र कार्यशालाएँ, विचारगोष्ठियाँ, शिक्षण-सामग्री की रचना, सहयोग एवं मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण में भी सहायता करते हैं।

(3) न्याय पंचायत केन्द्रों — इसके माध्यम से विकास खण्ड के सभी स्कूलों की सूचनाओं को 'सूचना प्रबंध प्रणाली' के लिए संकलित किया जाता है।

(4) वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा — सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा (AIE) का भी प्रावधान किया गया है। जनजातीय व तटीय क्षेत्रों में वंचित व पिछड़े समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को विकसित किया गया है।

(5) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना — ~~विद्यालय स्तर पर न्यूनतम दो अध्यापकों की सुनिश्चितता एवं छात्र संख्या~~ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 की आबादी और परिषदीय विद्यालय से 1.5 Km. की दूरी की परिधि के बाहर स्थित बस्तियों को अच्छादित माना गया है।

(6) शिक्षक छात्र अनुपात — विद्यालय स्तर पर न्यूनतम दो अध्यापकों की सुनिश्चितता एवं छात्र संख्या के आधार पर सुनिश्चित उपलब्धता।

(7) नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण — सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के बालक व समस्त बालिकाओं हेतु निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।

(8) शिक्षण अधिगम उपकरण — अच्छादित बस्तियों में नव-निर्मित विद्यालयों हेतु विद्यालय स्तर अनुसार धनराशि की उपलब्ध कराई गई।

(9) अभिनव क्रिया-कलाप :— अभिनव कार्यक्रमों को स्कूल में लागू करने में 6-14 वर्ष के सारे बच्चे लाभान्वित होते हैं एवं ये प्रासंगिक, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कार्यक्रम समुदाय की प्रक्रिया मजबूत करने की प्रक्रिया और समुदाय क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता को कम करने -दायी के रूप में व क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। ये कार्यक्रम शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं। और इन से उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद मिलती है। अभिनव योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यक्रम हैं — बचपन की देखभाल व शिक्षा, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा।

(10) अध्यापक प्रशिक्षण — शिक्षण अधिगम सम्प्राप्ति के उन्नयन हेतु शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की सुविधा।

(11) सामुदायिक प्रशिक्षण — विद्यालयों के प्रबन्धन के एवं सफल संचालन हेतु गठित समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(12) समेकित शिक्षण — विशेष आवश्यकतावाले बच्चों के प्रभावी शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था, वैकल्पिक शिक्षा उपकरण, वितरण, असेसमेण्ट कैम्प, अभिभावक परामर्श आदि की व्यवस्था।

(13) शोध मूल्यांकन, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण — स्थानीय स्तर समस्याओं के निराकरण हेतु शोध कार्य करना, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु योजनायें तैयार करना। इसके अन्तर्गत एक एक प्रभावी प्रबन्धन सूचना प्रणाली हेतु प्रति स्कूल 1500 रुपये की राशि सामान्यतः प्रस्तावित होती है। इसमें घरेलू आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल मैपिंग व माइक्रो योजना का प्रावधान है।

(14) विद्यालय अनुदान — परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान दिया जाता है। विद्यालय अनुदान में से 100 रुपये स्कूल के पुस्तकालय सुविधाओं सुलभ हेतु व्यय किया गया था तथा शेष बाकी निधि को रखरखाव, स्कूल सौन्दर्यीकरण, एवं उपकरण को कार्यात्मक बनाने में,

(6)

मरम्मत और कम्प्यूटर, अनुसंधान, संगीत, वाद्य यंत्र व स्कूलों के सम्पूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया गया था।

(15) – शैक्षिक अनुदान — कक्षा शिक्षण के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के क्रम के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी एल.पी./यू.पी. (L.P./U.P.) (निम्न प्रा./उच्च प्रा.) शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षकों ने अनुदान का प्रयोग उत्पादन और TLM (Teaching Learning Material) के उपलब्ध कराने में किया, जिससे वर्ष 2007-08 के दौरान 5,47,590 शिक्षक लाभान्वित हुए।

4. सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव — इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से वंचितों की शिक्षा में काफी उत्साहवर्धक प्रभाव देखने मिल रहे हैं। इस अभियान के प्रभावी होने के कारण वंचित वर्गों के बालक/बालिकाओं के नामांकन एवं स्थिरीकरण में बदलाव देखने मिलता है। इसे निम्न विवरण के आलोक में देखा जा सकता है —

सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य वंचित सामाजिक वर्गों तक शिक्षा की पहुँच को आसान बनाना था जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, मुस्लिम समुदाय व विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व अन्य बच्चों की शिक्षा शामिल है। इसी योजना के तहत इन वंचित जातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र प्रमुखता से खोले गए। इसके लिए कुल 399 जिलों को चिन्हित किया गया। जिनमें से 34 जिले ऐसे थे जहाँ 20000 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो विद्यालय से बाहर थे। 61 जिलों में अनुसूचित जातियों के बच्चों का प्रतिशत अधिक था। 88 जिले में मुस्लिम बच्चे अधिक थे। इन बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा में इनकी सहभागिता को बढ़ाने हेतु विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की गईं जैसे पड़ोसी विद्यालय की स्थापना, निःशुल्क यातायात व आवास की सुविधा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, व दोपहर मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षण पद्धति में सुधार इत्यादि। इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव इन बच्चों के विद्यालय में नामांकन पर पड़ा। इसे कुछ आँकड़ों के संदर्भ में देखा जा सकता है —

~~प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा में~~ कक्षाओं में
वर्ष 2000-01 जहाँ प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा में कक्षाओं में 3.1 मिलियन व प्रारंभिक 1.1 मिलियन, उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.1 मिलियन व प्रारंभिक 11 मिलियन, उच्च प्राथमिक स्तर पर 14.1 मिलियन से वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक शिक्षा के स्तर पर 14.1 मिलियन से वर्ष 2011-12 में प्राथमिक स्तर पर 15.7 मिलियन, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6.1 मिलियन व प्राथमिक कक्षा स्तर पर 21.8 मिलियन था। तत पश्चात की वृद्धि दर कुछ कम आँकी गई। आरम्भ 21.8 मिलियन के मुकाबले 21.1 मिलियन 2013-14 में थी। किन्तु पूरे तौर पर देखा जाय तो सर्वशिक्षा अभियान में इन बच्चों का नामांकन में भारी वृद्धि देखी गई।

इसी प्रकार मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में प्रारंभिक कक्षा में नामांकित कुल बच्चों में से 13.73% बच्चे विद्यालय में नामांकित थे जब कि कुल जनसंख्या के मुकाबले मुस्लिम जनसंख्या-2001 की जनगणना के अनुसार 13.43% थी।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत बच्चों की धारणा का प्रश्न है तो इस योजना के द्वारा कक्षा 1 के नामांकन से लेकर कक्षा 8 तक के सर्वव्यापक धारणा के प्रयास किये गए थे। इसके परिणाम स्वरूप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक उपलब्ध आँकड़े से स्पष्ट है कि बीच में कक्षा छोड़ देनेवाली बालिकाओं की दर में 2001 से 2008-09 तक 15.8% कमी आई थी। इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 अनुसूचित जाति के बच्चों द्वारा बीच से कक्षा छोड़ देने की दर-2001 से 2008-09 में 18.5% की कमी आई। इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 तक बच्चों द्वारा स्कूल में धारणा 12.8% बढ़ी थी।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सर्वशिक्षा अभियान (S.S.A.) के अन्तर्गत किये गए प्रयासों से वंचित वर्गों के बच्चों का न केवल नामांकन दर बढ़ी बल्कि धारणा में भी वृद्धि हुई है। इस तथ्य की पुष्टि हमें लगातार कम होती हुई स्कूल छोड़ने की दर से प्राप्त होती है।

P.T.O.

5. सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी बनाने के सुझाव: —
सशक्त एवं प्रभावी बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान को आवश्यक सुझाव निम्नलिखित हैं —

(i) आँकड़ों के संग्रहीकरण, विश्लेषीकरण को प्रयोग करने हेतु मजबूत बनाना।

(ii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए सभी कार्यों को लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए ताकि अब पालन किया जा सके।

(iii) सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचने के बाद अनुपस्थित और शिक्षा बीच में छोड़नेवालों पर रोक लगाने की तरफ ध्यान लगाया जाना चाहिए।

(iv) बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाये रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रिया को अधिक गहराई से समझकर उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।

(v) क्षमता निर्माण की दशा में प्रयास करना ताकि सभी अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सके।

(vi) प्रशासनिक क्रियाविधियों की लगातार समीक्षा भी जरूरी है जिससे आनेवाली विभिन्न बाधाओं को दूर किया जा सके।

(vii) स्कूल के बच्चों को के प्रवेश व ठहराव को सरल बनाया जा सके।

(vii) सिविल कार्यों का अध्ययन गम्भीरता से किया जाय व इसमें स्कूल-भवन डिजाइन पर ध्यान दिया जाए।

(viii) अभियान में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों की सतत समीक्षा की जाये और यह आश्वासन लिया जाय कि अनुदान का रुपया ठीक प्रकार से खर्च किया जा रहा है।

(IX) समुदाय की भागीदारी बढ़ायी जाय।
— इत्यादि।

[signature]
18/5/2020